No. 49/37/2013-6SII
GOVERNMENT OF HARYANA
CHIEF SECRETARY'S OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT

Dated, Chandigarh, the 04th April, 2013.

To

All concerned IAS / HCS Officers.

Subject: Filling up of the one post of 'Assistant Director (Official Language)' in the Central Water and Power Research Station, Pune on deputation/promotion basis.

****

Madam/ Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that a copy of office memorandum No. 5/1/2012 – Estt.II, dated 04th March, 2013 received from Government of India, Ministry of Water Resources, New Delhi is uploaded on the web site (csharyana.gov.in) and to request that in case you are willing to be considered for the post mentioned in the above subject you may kindly send three copies of your bio-data with an application to the Personnel Department (Services Branch-II) at the earliest.

Yours faithfully,

(SATISH SHARMA)
Superintendent Services-II.

INTERNAL DISTRIBUTION
e-champion

No. 5/1/2012 – Estt. II
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WATER RESOURCES

Chief Secretary's Office
Receipt No. 27267
Dtd.
29 MAR 2013
परिचालन शाखा नं. 27267

New Delhi, the 04 March 2013

OFFICE MEMORANDUM

The undersigned is directed to say that one post of **'Assistant Director (Official Language)'** in the Central Water and Power Research Station, Pune in the scale of pay of Rs.15,600-39,100 + Rs.5,400 Grade Pay, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial, is required to be filled up by Composite method **(Deputation/Promotion)** :-

1. Officers of the Central Government or State Government:-

(A) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department, OR

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4800 in pay band-2 in the parent cadre or Department; OR

(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600 in pay band-2 in the parent cadre or Department; OR

(iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200 in pay band-2 in the parent cadre or Department; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience :

(I) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a subject at the Bachelor Degree level;

OR

Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at the Bachelor Degree level;

OR

Masters degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as a subject at the Bachelor Degree level;

..2

Branch
Dy No. 27725
Date 01/04/2013

OR

Masters degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as a subject at the Bachelor Degree level;

OR

Masters degree of a recognised University in any subject with English medium and Hindi as a subject at the Bachelor Degree level; and

(II) Five years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature in the Central Government Organisation;

OR

Five years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi in Central Government Organisation.

2. The Departmental Senior Hindi Translator in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4600 in pay band-2 with three years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note-1 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to first January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Note-2 : For the purpose of appointment on Deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to first January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

.. 3

Note-3 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-4 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-5 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

2. The Assistant Director (OL), Central Water and Power Research Station, Pune will perform the following duties :

i) Proper functioning of the Hindi Unit at CW&PRS and connected duties therewith;

ii) Terminological work in Hindi and translation work from English into Hindi and vice versa;

iii) Training of staff in Hindi;

iv) Co-ordination, implementation for the spread of Hindi amongst the various divisions of the CW&PRS;

v) Preparation and verification of Brochures/specific notes/ reports and other allied matters in Hindi;

vi) Planning and execution of duties connected with various committees involving the use of Hindi;

vii) Supervision and guidance to the Hindi Unit Staff working under him/her

viii) Promoting and implementation of Hindi Teaching Scheme for non-Hindi speaking employees at CWPRS as per Govt. directives from time to time;

ix) Any other work that may be assigned by his/her superior officer from time to time.

3. The terms and conditions of the deputation would be the same as prescribed by the Department of Personnel & Training vide their O M No.2/29/91-Estt. (Pay II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

4. It is requested that the applications (in triplicate) in the prescribed proforma (Annexure-'A') in respect of the interested and eligible officers who could be spared in the event of their selection, may please be sent to the Under Secretary (E-II), Ministry of Water Resources, Room No.633, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110 001, within sixty days from the date of issue of this advertisement. The closing date for receipt of applications from candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Laddakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad will be 67 days from the date of publication of advertisement. While forwarding the applications, along with attested photocopies of ACRs for the last five years, Integrity certificate and No Penalty Certificate during the last ten years in respect of the officers, the Cadre/Administrative Authority should certify that the particulars furnished by the officers are correct and that no vigilance/disciplinary case is pending against the officer (s). Applications received after the last date or without copies of ACRs/Integrity Certificate/No Penalty Certificate/Vigilance Clearance Certificate or otherwise found incomplete will not be considered. The candidates who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently. It is also requested the post may be widely circulated to all the institutions under your administrative control.

(S K KATARIA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
Phone : 2371 6928

To

1. All Union Ministries/Independent Departments.
2. Chief Secretaries of all State Governments.
3. All Attached/Subordinate offices of MoWR
4. Director, CWPRS, Pune.
5. Administration Section, MoWR
6. E. Governance Cell, MoWR.

CURRICULUM VITAE PROFORM

1.	Name and Address (in Block Letters)		
2.	Date of Birth (in Christian era)		
3.	Date of retirement under Central/ State Government Rules		
4.	Educational Qualifications		
5.	Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same) Essential Desired	Qualifications/ Experience Required (1) (2) (3) (1) (2)	Qualifications/ Experience possessed by the officer
6.	Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post		
7.	Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient		

Office/ Institution	Post held	From	To	Scale of Pay and Basic Pay	Nature of duties (in detail)

8	Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent	
9.	In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state:- (a) The date of initial appointment (b) Period of appointment on deputation/contract (c) Name of the parent office/organization to which you belong	
10.	Additional details about present employment. Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column) (a)Central Government. (b)State Government (c) Autonomous Organization (d) Government Undertaking (e) Universities (f) Others	

11	Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade	
12	Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale	
13	Total emoluments per month now drawn	
14	Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient).	
15	Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/ Absorption/ re-employment Basis. (Officers under Central/ State Governments are only eligible for �Absorption�. Candidates of non=Government Organizations are eligible only for Short Term Contract.)	
16.	Whether belongs to SC/ST	
17.	Remarks (The candidates may indicate information with regard to (i) Research Publications and reports and special projects (ii) Awards/ Scholarship/Official Appreciation(iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and (iv) any other information (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)	

I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

Signature of the Candidate
Address----------------

Date______
Countersigned
(Employer with Seal)

संख्या : 5/1/12-स्था II
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001

दिनांक : 04 मार्च 2013

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह "क", राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय स्तरीय का एक पद रु. 15,600-39,100 के वेतन + रू. 5,400 ग्रेड वेतन के वेतनमान में संयुक्त विधि (प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति) संवर्धन के द्वारा भरा जाना आवश्यक है :-

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण कर रहे हैं; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34800 रू. और ग्रेड वेतन 4800 रू. में इसमें नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; या

(iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34800 रू. और ग्रेड वेतन 4600 रू. में इसमें नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; या

(iv) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34800 रू. और ग्रेड वेतन 4200 रू. में इसमें नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों।

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ;

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में हो

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में हो;

(II) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य और / या अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव अधिमानतः केन्द्रीय सरकार के संगठन में तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव

या

केन्द्रीय सरकार के संगठन में हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन पर पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव

...2

2. पे बैंड-2 में 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में विभागीय वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर उसका चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा का वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा का वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ, एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों का विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो।

टिप्पण 3 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. सहायक निदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के निम्नलिखित कर्तव्यों को संपादन करने होंगे :

I. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला में हिन्दी अनुभाग के सुचारू रूप से प्रचालन करना और संबंधित कर्तव्यों का पालन करना;
II. हिन्दी में शब्दावली कार्य और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद और विलोमत;
III. स्टॉफ को हिन्दी में प्रशिक्षण;
IV. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के विभिन्न प्रभागों में हिन्दी को बढ़ाने हेतु समन्वयन और कार्यान्वयन;
V. विवरणिका/विशिष्ट टिप्पणी/रिपोर्ट को तैयार और सत्यापन करना और अन्य हिन्दी से संबंधित कार्य;
VI. योजना और हिंदी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न समितियों के साथ जुड़े कर्तव्यों के निष्पादन;
VII. हिन्दी अनुभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों का निरीक्षण और मार्गदर्शन करना;
VIII. समय समय पर सरकारी निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला में गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना का बढ़ावा और कार्यान्वयन;
IX. समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए अन्य कार्य को निर्दिष्ट करना।

- 3

चुने गए अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की शर्तें, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित ार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/91-स्था(वेतन II) में निर्धारित ावधानों जैसी होगी।

5. अनुरोध है कि इच्छुक और पात्र अधिकारी जिन्हें चयन के पश्चात कार्यभार मुक्त किया जा सकता है ऐसे संबंधितों के आवेदन पत्र (तीन प्रतियों में) निर्धारित प्रपत्र संलग्नक "क" में विधिवत भरकर विज्ञापन प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिनों के भीतर, अवर सचिव, (स्था.II), जल संसाधन मंत्रालय, कमरा संख्या 633, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 को भेज सकते हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल स्पिति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के पांगी उप प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से 67 दिनों के भीतर समाप्त होगी। आवेदन भेजते समय, अधिकारी की पिछले पाँच वर्षों की एसीआर की अनुप्रमाणित फोटो कॉपी, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और पिछले दस वर्ष के लिए किसी प्रकार के दंड संबंधी प्रमाणपत्र, आदि संवर्ग/प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है और अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है। आवेदन तिथि समाप्ति के पश्चात या बिना एसीआर प्रतियाँ / सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र / दंड संबंधी प्रमाण पत्र/सतर्कता प्रमाणपत्र या अन्यथा अधूरे प्रपत्र आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप इस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए जाने के पश्चात उम्मीदवारी को वापिस नहीं लिया जा सकता। यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस पद को आपके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संस्थाओं में व्यापक रूप से परिचालित किया जाए।

(एस के कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23716928

प्रति प्रेषित :

1 भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ स्वतंत्र विभाग
2 सभी राज्यों के मुख्य सचिव
3 जल संसाधन मंत्रालय के सभी संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय
4 निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - 24
5 प्रशासन अनुभाग, जल संसाधन मंत्रालय
6 ई-गवर्नान्स सेल, जल संसाधन मंत्रालय

admin/hindi Officer-RR-OM-2013Unicode.doc

अनुलग्नक "क"

जीवन वृत्त प्रपत्र

1. नाम एवं पत्ता
   (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. जन्म तिथि
   (ईस्वी सन में) :

3. केन्द्र / राज्य सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत्ति की तारीख :

4. शैक्षणिक योग्यताएँ :

5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूर्ण हैं (यदि कोई योग्यता नियमों के अधीन योग्यता के समतुल्य मानी गई हो तो उसके प्राधिकारी का नाम बताएं)

अपेक्षित योग्यताएं / अनुभव	अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुभव / योग्यता
अनिवार्य : (1)	
(2)	
(3)	
वांछनीय : (1)	
(2)	

6. कृपया बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं :

7. कालक्रमानुसार नियुक्तियों का ब्यौरा, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया विधिवत हस्ताक्षर से प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें

कार्यालय / संस्थान	धारित पद	से	तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्य का स्वरूप (विस्तार से)

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप तदर्थ, अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत अथवा स्थायी,

9. यदि वर्तमान नियुक्ति प्रतिनियुक्ति / अनुबंध आधार पर धारण किए हों तो कृपया बताएं :
   (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि
   (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
   (ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं,

10. वर्तमान नियुक्ति से संबंधित अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में से किस में कार्यरत हैं
    (क) केंद्र सरकार
    (ख) राज्य सरकार
    (ग) स्वायत्त संगठन
    (घ) सरकारी उपक्रम
    (ड) विश्वविद्यालय
    (च) अन्य

11. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं तथा फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में है

12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां तो तारीख बताएं कि कब से संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।

13. प्रतिमाह ली जाने वाली कुल परिलब्धियां

14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें, (इनमें से कुछ अन्य विषयों पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है (i) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (ii)व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं (iii)रिक्ति परिपत्र /विज्ञापन में निर्धारित के अलावा कार्य अनुभव (टिप्पणी : यदि स्थान अपर्याप्त हो तो पृथक शीट संलग्न करें)

15. कृपया बताएं कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) आमेलन/पुर्नियुक्ति आधार पर आवेदन कर रहे हैं (केवल केंद्र/राज्य सरकारों में कार्यरत अधिकारी ही "आमेलन" के लिए पात्र होंगे, गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल लघु अवधि अनुबंध के पात्र हैं

16. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति से संबंधित हैं,

17. टिप्पणियाँ : (उम्मीदवारों को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देनी होगी कि क्या उनकी कोई
(i) अनुसंधान पत्र, रिपोर्ट अथवा विशेष परियोजना प्रकाशित हुई है,
(ii) पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/अधिकारिक प्रशंसा
(iii) व्यावसायिक इकाई/संस्थानों/संस्थाओं से मान्यता तथा
(iv) अन्य कोई सूचना,
(टिप्पणी : यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है,)

मैंने उपर्युक्त पद के लिए दिए गए रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देख लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित जीवनवृत्त का मूल्यांकन पद के चयन के समय चयन समिति द्वारा भी किया जाएगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पता :-------------------------

दिनांक -------------------
प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोजक मुहर सहित)